आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

विविध वाद संख्या–126 / 2021
गौरव कुमार सिंह
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
25.01.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9154 / 2021 में दिनांक 20.07.2021 को पारित आदेश के आलोक में श्री गौरव कुमार सिंह, पिता–श्री अंनजी कुमार सिंह, फ्लैट संख्या–302, शशि सुदामा निकेतन, राजेन्द्र नगर, पटना के द्वारा दिनांक 23.08.2021 को दिये गये अभ्यावेदन से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक–20.07.2021 में अंकित है कि:– **" After the matter was heard for some time, learned counsel for the petitioner, under instructions, states that petitioner shall be content if a direction is issued to the authority concerned i.e. Commissioner, Tirhut Division, District-East Champaran to consider and decide the representation which hthe petitioner shall be filing within a period of four weeks from today for redressal of the grievance (s)"**	

	आवेदक श्री गौरव कुमार सिंह द्वारा दिनांक 23.08.2021 को दिये गये अभ्यावेदन के अनुसार ग्राम–जटवालिया, थाना–कुण्डवा चैनपुर, जिला–पूर्वी चंपारण के खाता संख्या–27 खेसरा संख्या–1161 रकवा 50 डी0 भूमि, जो कि एक श्मशान की भूमि है, पर सरकार द्वारा पंचायत भवन बनाये जाने पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधित है। आवेदक के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए इस न्यायालय में वाद संख्या–126/2021 संस्थगित की गई एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी से इस न्यायालय के पत्रांक–154/वि0 दिनांक–14.03.2022 से प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। साथ ही आवेदक को इस वाद में उपस्थित होने हेतु दिनांक–20.07.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस निर्गत किया गया। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस निर्गत करने के बावजूद आवेदक इस वाद में सुनवाई की तिथि दिनांक 16.01.2023 एवं 23.01.2023 को अनुपस्थित रहे, जो साबित करता है कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना से संबंधित है अतएव आवेदक के अनुपस्थिति में ही वाद के गुण दोष पर विचार करते हुए एवं प्रभारी पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पत्रांक 884/विधि दिनांक– 01.04.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बताया कि रजिस्टर्ड डाक से नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद आवेदक उपस्थित नहीं हैं तो वाद को Dismissed For Default कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्रशाखा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पत्रांक 884/विधि दिनांक 01.04. 2022 से प्राप्त पत्र, जिसमें अंचलाधिकारी, ढ़ाका, पूर्वी चंपारण के पत्रांक 118 दिनांक–18.02.2022 से प्रतिवेदित है कि ***मौजा*** *जटवालिया, थाना नं0–74, खाता संख्या–27, खेसरा संख्या–1161 कुल रकवा एक एकड़ तीस डीसमिल सर्वे खतियान में गैरमजरुआ मालिक परती कदीम करके दर्ज है। इसी भूमि के अंश भाग 50 डी0 पर पंचायत सरकार भवन का नींव निर्माण किया गया है एवं भवन निर्माणाधीन है।* उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के दावा को अमान्य करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL